

प्र.का. 7 भीखाएजी कामा प्लेस,
नयी दिल्ली-110 607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi-110 607

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक सोमवार 28 सितम्बर, 2015
समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
DATE: MONDAY, THE 28TH SEPTEMBER, 2015
TIME : 10.00 A.M.

स्थान :
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

Venue :
PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM
CENTRAL STAFF COLLEGE,
8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES,
DELHI-110 054



विषय वस्तु CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

सूचना NOTICE	1-7
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	8-9
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	10-11
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतदान पत्र ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS CUM BALLOT PAPER PASS	12

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ IMPORTANT CALENDER OR EVENTS

असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के भाग लेने/वोटिंग की पात्रता का पता लगाने के लिए कटऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM/Voting	सोमवार, 21 सितम्बर, 2015 Monday, 21st September, 2015
ई-वोटिंग की अवधि Period of e-voting	25.09.2015 से 27.09.2015 25.09.2015 to 27.09.2015
प्रॉक्सी फार्मों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	बुधवार, 23 सितम्बर, 2015 Wednesday, 23rd September, 2015



प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को पूर्वाह्न 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प:

संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'योजना' कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'अधिनियम' कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में निदेशक मंडल कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि रु. 2/- के अंकित मूल्य के 10,90,40,543 शेयर सेबी आईसीडीआर विनियम सं0 76(1) के अनुसरण में निर्धारित किए गए रु. 156.84 के नकदी प्रीमियम पर कुल रु. 1732/- करोड़ तक के शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें एवं आबंटन करें।

'यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 28.08.2015 है।'



Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Monday, the 28th September 2015, at 10.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following Special business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution(s) as Special Resolution(s):

RESOLUTIONS:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the ‘Scheme’) and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the ‘Regulations’) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the “Board” which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot 10,90,40,543 Equity Shares of face value of ₹ 2/- each to GOI on preferential basis at a premium of ₹ 156.84 per equity share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, up to an amount of ₹ 1732 crore.**

“RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for determination of the Issue Price is 28.08.2015”



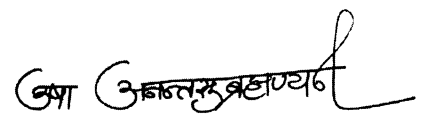
“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं ‘सेबी आईसीडीआर विनियमन’ के अध्याय VII के अंतर्गत अवरुद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (लाभांश सहित यदि घोषित हो), सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक



(उषा अनंतसुब्रह्मण्यन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.08.2015



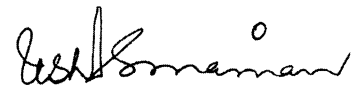
"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank pari passu in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

**By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank**



**(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO**

Place : New Delhi
Date : 28-08-2015



टिप्पणियाँ :

1. बैंक ने नोटिस प्रेषित करने हेतु कटऑफ तिथि शक्रवार दिनांक 28 अगस्त 2015 निर्धारित की है। एजेंडा मदों के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कटऑफ तिथि 21.09.2015 निर्धारित की है।
2. उपर्युक्त बैठक के अलग-अलग नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि होंगे जिन्हें बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
3. वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश-पत्र तथा सही पहचान के साथ ही बैठक में प्रवेश दिया जायेगा।
4. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सियों को वैध व प्रभावी होने के लिए मीटिंग से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में विधिवत् स्ताम्पित कर अवश्य जमा करना होगा।
5. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यप्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।
6. नोटिस के मद संख्यक के संबंध में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं।
7. **चुनाव प्रक्रिया**

इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

- I कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 साथ पठित सूचीकरण करार के खंड 35 बी के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक द्वारा शेयरधारकों को सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा दे रहा है।
- II एक व्यक्ति जिसका नाम दिनांक 21.09.2015 कटऑफ तिथि को सदस्य या डिपाजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति मतपत्र द्वारा असाधारण आम बैठक में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।
- III मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से अपना अधिकार कर प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- IV वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट किया है, बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दुबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।



NOTES:

1. The Bank has fixed Friday, the 28th August, 2015 as the cut-off date for dispatch of notice. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 21.09.2015.
2. Detailed notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investors' Info Page)
3. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass cum ballot paper pass with proper identification.
4. A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the bank. Proxies in order to be valid and effective, must be deposited duly stamped at the Head Office of the Bank not less than Four days before the meeting.
5. No person shall be entitled to attend or vote at the EGM as a duly authorized representative of any body-corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
6. The relevant explanatory Statement in respect of item no. 1 set out in the notice is annexed hereto.

7. Voting Process

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank is providing the shareholders facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the EGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- II. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date of September 21, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the EGM.
- III. That the facility for voting, through ballot paper shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- IV. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.



V रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं :

- (i) ईवोटिंग की अवधि 25.09.2015 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 27.09.2015 (सायं 5.00 बजे) को समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट आफ तिथि 21.09.2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमैटेरियलाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा।
- (ii) शेयरधारक, ई-वोटिंग के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करेगा।
- (iii) "Shareholders" टैब पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें।
- क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी
- ख) एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों की ग्राहक आईडी द्वारा अनुपालित 8 अक्षरों की डीपीआईडी दर्ज करना
- ग) भौतिक रूप में शेयरधारिता करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नं. चाहिए।
- (v) प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और <https://www.evotingindia.com> पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोटिंग किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं।
- (vii) यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें :

	डिमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अपना एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक दोनों के लिए लागू) - सदस्य जिन्होंने कंपनी डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम संख्या के आठ अंकों का उपयोग करें। - यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटर्स में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद लागू संख्या 0 दर्ज करें। उदाहरणस्वरूप: यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें।
जन्म तिथि	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि दिन/माह/वर्ष प्रारूप में दर्ज करें।
लभांश बैंक ब्यौरा	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। कृपया लॉगिन करने के लिए जन्म तिथि या लभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। यदि ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, कृपया डिविडेड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें।

- (viii) इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- (ix) भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य सीधे कम्पनी सैलेक्शन स्क्रीन पर जायेंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगे जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर वोटिंग हेतु



V. The instructions for remote e-voting are as under :

- (i) The voting period begins on 25.09.2015 (9:00 am) and ends on 27.09.2015 (5:00 pm). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21.09.2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
- (iii) Click on "Shareholders" tab.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) - Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. - In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions



डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग चुनें। यह दृढ़तापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।

- (x) भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।
- (xi) पंजाब नेशनल बैंक के लिए "EVSN" पर क्लिक करें जिस पर वोट करने के लिए चुना है।
- (xii) वोटिंग पेज पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा और इसके विपरीत वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प दिखेगा। ऐच्छिक विकल्प 'YES/NO' चुनें। "YES" विकल्प का तात्पर्य है आप संकल्प के समर्थन में हैं और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरुद्ध हैं।
- (xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।
- (xiv) संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया SUBMIT पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- (xv) एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट CONFIRM कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप वोटिंग पेज पर Click here to print विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और FORGOT PASSWORD पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें।
- (xviii) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :
 - गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि <https://www.evotingindia.com> पर लॉगिन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
 - उपक्रम का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करना चाहिए।
 - लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लाइंस यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडमिन लागिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए। कम्प्लाइंस यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं, को लिंक करने में सक्षम होगा।
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगे।
 - उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- (vi) सदस्यों के लिए ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ((FAQs) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evotingindia.com पर मेल भेज सकते हैं।

नाम : श्री वेनसेसलॉस फुरटाडो

पदनाम : उप प्रबंधक

पता : सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड

16वाँ तल, पी.जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400 001



of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for Punjab National Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <https://www.evotingindia.com> and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin log-in & password. The compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - They should upload a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

VI. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for members and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The contact details of official for e-voting are as under:

Name	-	Mr. Wenceslaus Furtado
Designation	-	Deputy Manager
Address	-	Central Depository Services (India) Ltd.

16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001



ईमेल आईडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com

फोन नं. : 18002005533

- (vii) यदि आप सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तब आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड पिन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evotingindia.com पर जाकर "Forgot user details/password" का प्रयोग करते हुए पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या टॉल फ्री नम्बर 18002005533 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- (viii) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं. और ईमेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है।
- (ix) सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट ऑफ तिथि 21.09.2015 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में होंगे।
- (x) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 25.09.2015 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 27.09.2015 (सायं 5 बजे) को समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट ऑफ तिथि 21.09.2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमैटेरियलाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ईवोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात् शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (xi) शेयरधारक वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् या तो ईजीएम में उपस्थित होकर भौतिक रूप में या ई-वोटिंग का विकल्प चुन सकता है। यदि कोई शेयरधारक ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है तो वह ईजीएम में भौतिक रूप में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- (xii) ईजीएम नोटिस प्रेषण के पश्चात यदि कोई व्यक्ति बैंक का शेयर खरीदता है और बैंक का सदस्य बनता है व कट ऑफ तिथि अर्थात् 21.09.2015 को शेयरधारित करता है, तो वह evoting@cdsl.co.in या RTA पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- (xiii) सुश्री आशु गुप्ता, मै. आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (xiv) अध्यक्ष उन सदस्यों को जो असाधारण आम बैठक में उपस्थित हैं लेकिन रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त कर अपना ई-वोटिंग नहीं किया है, मतपत्र या मतदान पत्र का उपयोग कर संवीक्षको, एक शेयर धारक संवीक्षक सहित, की सहायता से संकल्पों जिस पर वोटिंग की जानी है पर चर्चा के बाद असाधारण आम बैठक में वोटिंग की अनुमति दे सकती है।
- (xv) संवीक्षक असाधारण आम बैठक में वोटिंग की समाप्ति के पश्चात् सबसे पहले बैठक में किए गए वोटों की गिनती करेगा और उसके पश्चात दो साक्षियों जो बैंक के नियोजन में न हो, की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए कुल वोटों को अनब्लॉक करेगा और यह प्रक्रिया ईजीएम की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर की जाएगी। अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति जो इसे प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और वोटिंग के तुरंत बाद परिणामों की घोषणा करेगा को पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोट की यदि कोई हो, समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (xvi) संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर की जाएगी और सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की ईजीएम में संकल्प पारित होने के दो दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित कर दिया जाएगा।



e-mail ID - helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone No. - 18002005533

- VII. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forget user details/password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the toll free no. 18002005533.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IX. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid up Equity share capital of the Bank as on the cut off date 21.09.2015.
- X. The remote e-voting period commences on 25.09.2015 (9:00 am) and ends on 27.09.2015 (5:00 pm). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21.09.2015 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- XI. Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either physically by attending EGM or e-voting. If any shareholder opts for remote e-voting, he will not be eligible to vote physically in EGM.
- XII. Any person who acquires the shares of the Bank and become member of the Bank, after dispatch of notice of EGM and holding shares as on the cut off date i.e. 21.09.2015, may obtain the login ID and password by sending a request at e-voting@cdsl.co.in or RTA.
- XIII. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIV. The Chairman shall, at the EGM, at the end of the discussion on the resolution on which voting is to be held, allow voting, with the assistance of scrutinizers, including one shareholder scrutinizer, by use of "ballot paper" or "polling paper" for all those members who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses, not in the employment of the Bank and shall make not later than three days of conclusion of the EGM a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing who shall countersign the same and declare the result of voting forthwith.
- XVI. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbIndia.in and on the website of CDSL after the same is declared and simultaneously communicated to the Stock Exchanges.



8. उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना ई-वोट नहीं किया है उनके लिए दिनांक 28.09.2015 (ईजीएम तिथि) को चुनाव प्रक्रिया
- प्रस्तावित संकल्पों के लिए वोटिंग गुप्त मतदान द्वारा की जायेगी।
 - इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान होंगे और पूर्वाह्न 11.30 बजे तक जारी रहेंगे।
 - पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास के अभ्यर्षण पर शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से स्थापित काउंटरों पर मतदान जारी किए जाएंगे।
 - शेयरधारक रबड़ स्टाम्प (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और उन्हें मत पत्र पेटिका में डाल सकता है। इसके पश्चात् मतगणना की जायेगी।
9. प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् 23 सितम्बर, 2015, बुधवार को सायं 5.00 बजे तक अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये।
10. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह बैलेट पेपर पास
- शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्राक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि यथास्थिति लिखें। मतदान के समय बैलेट पेपर प्राप्त करने के लिए बैलेट पेपर के हिस्से को जमा करना होगा।
11. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा परंतु ऐसा प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।
12. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन नहीं बांटे जायेंगे।
13. वोटिंग अधिकार
- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्स्थानी न्यू बैंक (Corresponding New Bank) का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।
 - विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।
 - उपर्युक्त के अध्यक्षीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21.09.2015 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा कर केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।



8. Poll Process on 28.09.2015 (EGM date) for those who have not cast their e-vote.

- The voting for the proposed resolutions will be by Poll through Secret Ballot.
- The polling will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue up to 11.30 a.m.
- Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/proxy holders/authorized representatives on surrender of **Ballot Paper Pass** issued at the time of registration.
- Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) in the box indicating 'Yes' or 'No' as desired by them and deposit them in the Ballot Boxes. The Counting of votes would be taken up thereafter.

9. The Proxy Form/Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank by the **Company Secretary, Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 p.m. on Wednesday the 23rd September, 2015.

10. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

11. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.

12. Shareholders may kindly note that no gifts/gift coupon will be distributed at the meeting.

13. VOTING RIGHTS

- In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
- Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date i.e. 21.09.2015** shall have one vote for each share held by him/her.



व्याख्यात्मक कथन

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याधीन यथापेक्षित प्रकटन

- अ) अधिमान निर्गमों का उद्देश्य

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में इसकी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की धारिता 59.86% है और भारत सरकार ने सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(i) के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले रु. 156.84 प्रीमियम पर रुपये 1732 करोड़ (एक हजार सात सौ बत्तीस करोड़ मात्र) तक की कुल राशि के रु. 2/- अंकित मूल्य के 10,90,40,543 इक्विटी शेयरों में नकद आधार पर भारत सरकार के पक्ष में सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम द्वारा निवेश करने का निर्णय लिया है।

- ब) यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार—बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(i) के अनुसार होगा। निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि 28.08.2015 है।

- स) शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरा धारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरा धारिता प्रतिशत
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	111,00,47,912	59.86	121,90,88,455	62.08
ब	गैर-प्रवर्तक धारिता	74,45,09,035	40.14	74,45,09,035	37.92
	कुल	185,45,56,947	100.00	196,35,97,490	100.00

** भारत सरकार का अधिमान निर्गम रु. 2/- अंकित मूल्य के 10,90,40,543 इक्विटी शेयरों की संख्या पर नकद आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 76(i) के अनुसार निर्धारित किये जाने वाले रु. 156.84 प्रीमियम के अनुसार होगा, जो निधि प्राप्त होने के विषयाधीन होगी।

- घ) बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है।

- ड) चूँकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

- च) भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी रु—

	शेयरों की संख्या	पूँजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	111,00,47,912	59.86%
निर्गम-पश्चात्	121,90,88,455	62.08%

- छ) बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियमन 76(3) और 78(5) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियमन 73(1) (एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।



EXPLANATORY STATEMENT

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to Gol

Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations,

a) Objects of the Preferential Issue

In an initiative to strengthen the capital base of the Public Sector Banks, the Government of India decided to raise its holding in Public Sector Banks (PSBs). At present in our Bank, the holding of Gol is 59.86% & Gol has decided to infuse a sum to the tune of ₹ 1732 crore (Rupees One thousand seven hundred thirty two crores only) in 10,90,40,543 Equity Shares of ₹ 2/- each for cash at a premium of ₹ 156.84 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, by way of preferential issue of equity shares in favour of the Gol, as per SEBI guidelines.

- b) The entire preferential issue will be subscribed by the Gol – the promoter of the Bank. The issue price shall be determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The relevant date for ascertaining the issue price is 28.08.2015.

c) Shareholding pattern before and after the issue.

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Gol)	111,00,47,912	59.86	121,90,88,455	62.08
B	Non – Promoter Holding	74,45,09,035	40.14	74,45,09,035	37.92
	Total	185,45,56,947	100.00	196,35,97,490	100.00

**the preferential issue to Gol will be of 10,90,40,543 equity shares of face value of ₹ 2/- each for cash at a premium of ₹ 156.84 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, subject to receipt of funds.

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e) As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	111,00,47,912	59.86%
Post - issue	121,90,88,455	62.08%

- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.



- ज) जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर ट्रेडिंग के अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे।
- झ) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा।
- ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन करता है।
- ट) भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयर जारी किये जायेंगे किन्तु उपबन्ध यह है कि सम्बद्ध समय में सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 व संशोधन, यदि कोई है, लागू होगा।

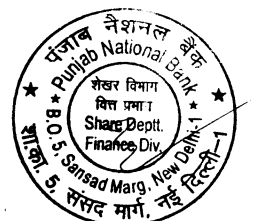
निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

(उषा अनंतसुब्रह्मण्यन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

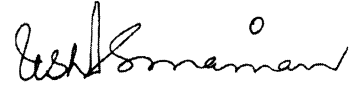
स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 28.08.2015



- h) All the equity shares to be issued and allotted to the Gol shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- i) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.
- j) All the equity shares held by the Gol are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- k) The issuance of equity shares in favour of Gol shall be subject to SEBI(ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.

By order of the Board of Directors
for **PUNJAB NATIONAL BANK**



(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place: NEW DELHI
Date: 28-08-2015



पंजाब नेशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 607

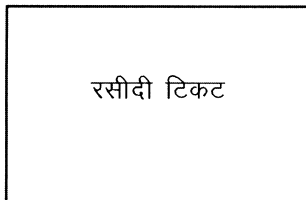
फार्म- "बी"

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटेरियलाइज्ड नहीं है)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि डिमैटेरियलाइज्ड है)	
शेयरों की सं.	

मैं/हम.....राज्य.....के जिला
.....का/की/के निवासी..... पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते
एतद्वारा राज्य के.....जिला.....के
निवासी श्री/श्रीमती.....को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर
.....राज्य के जिला.....के निवासी श्री/श्रीमती.....को
सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 समय प्रातः 10.00 बजे पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो
पंजाब नेशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में आयोजित
होगी तथा इसके अधिस्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं/करती हूं/करते हैं।



वर्ष 2015 के मास की.....तारीख को हस्ताक्षरित

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर.....



Punjab National Bank
Head Office: 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi 110607

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No (If Dematerialised)	
No. of Shares	

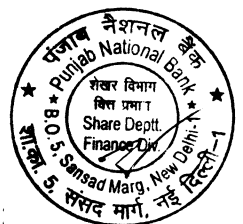
I/We, _____ resident/s of _____
in the district of _____ in the state of _____
being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____
resident of _____ in the district of _____ in the
state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district
of _____ in the state of _____ as my/our proxy
to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders
of the Bank to be held on **Monday, the 28th September, 2015, at 10.00 a.m., at Punjab National
Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054** and at any
adjournment thereof.

Revenue
Stamp

Signed this _____ day of _____ 2015.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____



प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज़ के वैध होने के लिए

- क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रूप में अधिकृत एटॉर्नी हस्ताक्षर करेगा।
- ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहरए यदि होए तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप से विधिवत् अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- घ) फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टम्पि होंगे।

2. प्राक्सी दस्तावेज़ जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार बीमा द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

3. प्राक्सी जिसके साथ में

क. मुख्तारनामा या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या

ख. उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटरी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया गया होए पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास असाधारण आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले अधिकतम बुधवार 23 सितम्बर, 2015, सायं 5.00 बजे तक जमा करवा दिया जाए।

4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।

5. बैंक के पास जमा प्राक्सी दस्तावेज़ अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा।

6. यदि प्राक्सी दस्तावेज़ विकल्प के तौर पर दो व्यक्तियों को दिए गये हों तो केवल एक फॉर्म का निष्पादन किया जायेगा।

7. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी का दस्तावेज़ निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज़ से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।

8. इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्राक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।

9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्राक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, Head Office : 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Wednesday, the 23rd September, 2015.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.



पंजाब नेशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह बैलेट पेपर पास
असाधारण आम बैठक, सोमवार, 28 सितम्बर, 2015 समय प्रातः 10.00 बजे
पंजाब नेशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

उपस्थिति पर्ची
(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

पंजाब नेशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

असाधारण आम बैठक, सोमवार, 28 सितम्बर, 2015 समय प्रातः 10.00 बजे

प्रवेश पास (बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास वाला हिस्सा आपको लौटाना होगा। किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

पंजाब नेशनल बैंक
प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
असाधारण आम बैठक सोमवार, 28 सितम्बर, 2015 समय प्रातः 10.00 बजे
मतदान पत्र
(मतदान पत्र प्राप्त करने के लिए पोलिंग कार्डटर पर लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		



PUNJAB NATIONAL BANK
HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, MONDAY, THE 28TH SEPTEMBER, 2015 AT 10.00 A.M.
AT PNB AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-54

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

PUNJAB NATIONAL BANK
HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, MONDAY, THE 28TH SEPTEMBER, 2015 AT 10.00 A.M.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.

PUNJAB NATIONAL BANK
HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, MONDAY, THE 28TH SEPTEMBER, 2015 AT 10.00 A.M.

ENTRY PASS

(To be surrendered at the Polling Counters to obtain Ballot Paper)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

